



**हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट
कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)**

(भारत सरकार का उपक्रम)

आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी

**Housing & Urban Development
Corporation Limited**
(A Govt. of India Enterprise)
An ISO 9001:2015 Certified Organisation

सीआईएन L74899DL1970GOI005276:वेबसाइट www.hudco.org.in:

पंजीकृत कार्यालय : हडको भवन , कोर 7 ए , इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

निविदा आमंत्रण

एक वर्ष की अवधि के लिए व्यावसायिक सीए/सीएमए फर्म की परामर्शदाता के रूप में विनियमन अनुपालन हेतु नियुक्ति ।

अध्याय

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	हडको का परिचय	2
2	बोली के सामान्य नियम एवं शर्तें	3-6
3	कार्यक्षेत्र की संभावनाएं	7-8
4	तकनीकी बोली के लिए तकनीकी मानदंड एवं प्रारूप	9-10
5	वित्तीय बोली का प्रारूप	11

अध्याय:1 हडको का परिचय

1.1 हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको), भारत सरकार (जीओआई) के स्वामित्व वाली प्रमुख तकनीकी-वित्तीय संस्था है, यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। हडको की स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी तथा इसे भारत में आवास और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। हमें भारत सरकार द्वारा मिनी रत्ना (श्रेणी-1 सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) का दर्जा प्राप्त है।

हमारे आवासीय वित्तीय ऋण सामाजिक आवास, आवासीय रियल एस्टेट और खुदरा वित्त के रूप में वर्गीकृत हैं जो हडको निवास (समेकित आवासीय वित्त) के नाम से जाने जाते हैं।

हम शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त के संबंध में निम्नलिखित परियोजनाओं से संबंधित ऋण सेवाएं प्रदान करते हैं :

- जलापूर्ति;
- सड़कें एवं परिवहन ; बिजली ;
- नए उभरते क्षेत्र जैसे सेज़ (विशेष आर्थिक क्षेत्र), औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस पाइप लाइन, तेल टर्मिनल तथा दूरसंचार क्षेत्र परियोजनाएं;
- व्यावसायिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य, जिनमें बिक्री केंद्र, बाज़ार परिसर, मॉल-कम-मल्टी प्लेक्स, होटल तथा कार्यालयी इमारतें आती हैं;
- सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा क्षेत्र विकास; तथा
- सीवरेज, ड्रेनेज तथा ठोस कचरा प्रबंधन (समेकित रूप में “शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त”)।

1.2 वित्तीय प्रचालनों के हडको शहरी और क्षेत्रीय योजना, डिजाइन और डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सामाजिक विकास, सरकारी कार्य एवं अन्य, शोध और अध्ययन को बढ़ावा देना तथा स्थानीय भवन निर्माण सामग्री, किराया और नवीनतम निर्माण कार्य तकनीकों के क्षेत्र में भी परामर्श सेवाएं आमंत्रित करता है। कंपनी, उसके राष्ट्रव्यापी स्तर पर फैले हुए क्षेत्रीय और विकास कार्यालयों में स्थापित एक मजबूत और बहु-अनुशासनात्मक कार्य बल के माध्यम से कार्य करती है। हडको मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

हडको की आय के स्रोत में ऋण पर ब्याज, प्रक्रिया शुल्क, परामर्श सेवाएं, मंत्रालय की ओर से हडको द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं और मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं, किराया सेवाएं, निर्माण कार्य संबंधी सेवाएं, वास्तु शिल्पीय सेवाएं आदि शामिल हैं।

वर्तमान में हडको एचएनबी के साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में पंजीकृत है। भारत

सरकार ने 9 अगस्त ,2019 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से आरबीआई को एचएफसी के लिए नियामक बना दिया था और देखरेख का कार्य एनएचबी के पास बना रहा। आरबीआई ने एचएफसी के लिए नियामक ढांचे पर 22 अक्टूबर,2020 की अधिसूचना जारी की है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हडको आरबीआई के साथ गैर बैंकिंग - वित्तीय कम्पनी इंफ्रास्ट्रक्चर (एनबीएफसी-आईएफसी) के रूप में पंजीकरण के अग्रिम स्तर पर है।

अधिक जानकारी के लिए बोलीकर्ता हडको की वेबसाइट www.hudco.org.in का संदर्भ कर सकते हैं।

अध्याय :2 बोली के सामान्य नियम एवं शर्तें

- 2.1 कंपनी का प्रयोजन एक परामर्शदाता को विनियमन अनुपालन हेतु व्यावसायिक सेवाओं के लिए सेवाप्रदाता आधार पर नियुक्त करना है। विनियमन अनुपालन के लिए सेवाप्रदाता आधार पर व्यावसायिक सेवाओं के लिए योग्य सीए/सीएमए फर्म द्वारा बोली लगाने के लिए यह आमंत्रण जारी किया गया है।
- 2.2 कम्पनी, बोली सम्बन्धी दस्तावेज़ के भाग 3 में उल्लिखित कार्यक्षेत्र की सम्भावनाओं के विषय में विनियमन अनुपालन के लिए परामर्शदाता को नियुक्त करने की इच्छुक है।
- 2.3 जिन व्यावसायिक फर्म/फर्मों को वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए हडको लिमिटेड के लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है, वह फर्म इस निविदा में भाग लेने को पात्र नहीं हैं।
- 2.4 शुरुआत में सीए/सीएमए फर्म, नियुक्ति तिथि से लेकर एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त की जाएगी। हालांकि, हडको के स्व विवेक पर फीस सहित पूर्व नियमों एवं शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन होने पर इसे वार्षिक आधार पर दो वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
- 2.5 बोली लगाने की प्रक्रिया के प्रबंध और परिणाम, यदि कोई हो तो, पर ध्यान दिए बगैर प्रस्ताव तैयार करने से जुड़ी पूरी लागत के लिए बोलीकर्ता उत्तरदायी होगा।
- 2.6 निविदा आमंत्रण के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में हडको का निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा।
- 2.7 बोलीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि निविदा आमंत्रण में दी गई निर्धारित तिथि और समय से पूर्व ही निविदा निर्देशित स्थान पर पहुँच जाए। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त निविदा सहित देरी से प्राप्त हुई निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अगर निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और निविदा खुलने के दिन अवकाश है तो ऐसी स्थिति में बोली प्राप्त होने की अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए अवकाश से अगले कार्य दिवस पर बोली को खोला जायेगा।
- 2.8 बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव तकनीकी बोली खुलने के 60 दिनों की

अवधि तक ही स्वीकृति के लिए मान्य होगा। अपवादात्मक परिस्थितियों में यदि मूल बोली अवधि की वैधता समाप्त होने से पूर्व, बोलीकर्ता के लिए बोली की वैधता को एक निर्दिष्ट अवधि बढ़ाना हडको के लिए अपेक्षित होगा।

2.9 यह दस्तावेज़/आमंत्रण अहस्तांतरणीय है। आमंत्रण तथा इसके नियमों के अनुसार दी जाने वाली सभी सूचनाएं पूर्ण रूप से गोपनीय हैं तथा आवेदनकर्ता के अतिरिक्त, हडको की लिखित सहमति के बिना अन्य किसी व्यक्ति के सामने इसे नहीं खोला जा सकता है।

2.10 बोली **19 अप्रैल, 2022 अपराह्न 3 बजे** तक जमा की जा सकती हैं। 3 बजे के बाद जमा की गई बोलियों के मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा। बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कम्पनी किसी भी आवेदनकर्ता के आवेदन प्राप्त होने की जवाबदेह नहीं होगी। हालाँकि, तकनीकी बोली के मूल्यांकन की अंतिम तिथि के बाद कम्पनी अपने सम्पूर्ण अधिकार के आधार पर आवेदनकर्ताओं से किसी अतिरिक्त जानकारी, सामग्री या साक्ष्य की मांग कर सकती है। बोलियां **19 अप्रैल 2022 को अपराह्न 04:00 बजे** खोली जाएंगी। वित्तीय बोली खोलने की तिथि अलग से सूचित की जाएगी।

2.11 हडको, बोली जमा करने की निर्धारित समय सीमा से पहले किसी भी समय परिशिष्ट जारी कर किसी भी कारणवश बोली दस्तावेज़ में संशोधन कर सकता है।

2.12 एक बोलीकर्ता पूरे कार्यक्षेत्र के लिए एक ही बोली प्रस्तुत करेगा। इस नोटिस में इंगित व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए आंशिक कार्य/ टाई अप व्यवस्था की अनुमति नहीं है। वित्तीय बोली को भागों में विभाजित करने की अनुमति नहीं है।

2.13 अनुमानित लागत अर्थात् ₹ 24,000/- पर 2% की गैर-ब्याज धारक ईएमडी (जमा बयाना राशि) का भुगतान हडको को केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है:

बैंक का नाम	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
ब्रांच का नाम एवं पता	बी-3-4, सूर्य किरण बिल्डिंग 19, के जी मार्ग, नई दिल्ली
लाभार्थी का नाम	हडको लिमिटेड (HUDCO Ltd.)
खाता संख्या	00030350017801
आईएफएससी	HDFC0000003

ईएमडी ऊपर बताए गए माध्यम के अलावा किसी अन्य तरीके से स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थानों को ईएमडी के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। ईएमडी से छूट प्राप्त करने के समर्थन में उन्हें अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भौतिक रूप में या फिर किसी अन्य माध्यम द्वारा जमा की गयी ईएमडी अमान्य होगी। ईएमडी के साथ कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं जुड़ेगा।

- 2.14 हडको के पास कार्य सौंपने से पूर्व ही किसी भी समय विनियमन अनुपालन के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।
- 2.15 आवेदनकर्ता तकनीकी बोली की तकनीकी व्यवहार्यता के मानदंड को पूरा करने के समर्थन में, **अध्याय 4** के अनुसार दस्तावेजों के पूरे सेट को एक सीलबंद लिफाफे में जमा करेंगे, लिफाफे पर **“भाग- I विनियमन अनुपालन हेतु परामर्शदाता के लिए तकनीकी बोली”** लिखना अनिवार्य होगा।
- 2.16 आवेदनकर्ता अपनी वितीय बोली के समर्थन में **अध्याय 5 के अनुसार** अपना आवेदन मदवार एक अलग सीलबंद लिफाफे में जमा करेंगे जिस पर **“भाग- II विनियमन अनुपालन हेतु परामर्शदाता के लिए वितीय बोली”** लिखा होना चाहिए।
- 2.17 उपरोक्तानुसार दोनों ही लिफाफे एक अलग मुहरबंद लिफाफे में होने चाहिए। उस मुहरबंद लिफाफे पर फर्म के नाम और पते के साथ **“विनियमन अनुपालन हेतु परामर्शदाता के लिए बोली”** विधिवत रूप से लिखा गया हो। यह बोलियां सामान्य लेखा अनुभाग- विनियमन विभाग, हडको मुख्यालय (कोर 7ए, हडको भवन, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003) द्वारा ऐसी विश्वसनीय एवं प्रतिष्ठित सीए/सीएमए फर्म से आमंत्रित की गयी हैं जो विनियमन अनुपालन के लिए परामर्श सेवाएं देने के क्षेत्र में कार्य कर रहीं हो और उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर विनियमन अनुपालन के क्षेत्र में व्यावसायिक परामर्श सेवाएं देने के अनुकूल हो। बोली कम्पनी के उपरोक्त उल्लिखित पते पर पांचवी मंजिल में निर्धारित निविदा बॉक्स में ही जमा की जाएगी।
- 2.18 यदि फर्म बोली लगाने की अंतिम तिथि से पहले अपनी बोली में संशोधन करना चाहती हो तो लिफाफों पर स्पष्ट रूप से **“विनियमन अनुपालन हेतु परामर्शदाता के लिए**

संशोधित बोली” लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही संशोधित बोली में सभी दस्तावेजों को संलग्न किया गया हो और यह भी लिखा होना चाहिए कि फर्म ने अपनी स्वेच्छा से मूल बोली को वापस लिया है। ऐसी स्थिति में मूल बोली को नहीं खोला जाएगा।

- 2.19 जिन आवेदनकर्ताओं को कार्य नहीं सौंपा जाएगा वह सभी अपने ना चुने जाने का कारण नहीं पूछ सकते। यदि इस मामले में कंपनी पर किसी भी तरह का कोई आरोप लगता है/ आवेदकों के किसी भी कार्य से कम्पनी की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचती है तो कम्पनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कानूनी तरीके से उस नुकसान की भरपाई के लिए कोर्ट में दावा कर सकती है।
- 2.20 फर्म को (“आवेदक” के रूप में संदर्भित) **“तकनीकी व्यवहार्यता”** के पालन के लिए सभी तकनीकी मानदंड (अध्याय-4) पूरे करने होंगे।
- 2.21 फर्म के (आवेदक के रूप में संदर्भित) **“वित्तीय बोली”** के मूल्यांकन पर विचार करने के लिए तकनीकी रूप से योग्य हो।
- 2.22 बोलीकर्ता केवल (अध्याय-5 में उल्लिखित) निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही फीस उद्धृत करेगा। बोलीकर्ता कीमत बोली में बिना किसी काट छांट के शब्दों और संख्या दोनों रूप में बोली उद्धृत करेगा। बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत की गयी कीमतें निश्चित, स्थिर एवं तिमाही आधार पर लागू होंगी (लागू कर अलग से इंगित किए जाएंगे)।
- 2.23 अनुमानित वित्तीय बोली मासिक आधार पर कर सहित **(अधिकतम सीमा)** ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) है।
- 2.24 हडको को यह अधिकार है कि किसी फर्म के संतोषजनक सेवा प्रदान करने में विफल रहने पर उसके उल्लिखित पते पर नोटिस भेजकर कॉन्ट्रैक्ट को तत्काल समाप्त कर सकता है। विनियमन अनुपालन के लिए परामर्शदाता (सीए/सीएमए फर्म) द्वारा सेवाओं में किसी भी प्रकार के असन्तोषजनक प्रदर्शन/विलम्ब/क्षति होने पर हडको का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। ऐसी स्थिति में हडको कॉन्ट्रैक्ट की प्रतिपूर्ति किए बगैर बिना किसी सूचना के सीए/सीएमए फर्म से क्षतिपूर्ति कर सकता है।
- 2.25 शुल्क सीए/सीएमए फर्म के कामकाज की तिमाही रिपोर्ट (बिन्दुवार) में संलग्न इनवॉइस के आधार पर तिमाही शुल्क के रूप में जारी होगा। जिसमें से हर तिमाही फीस का 20 % हडको द्वारा बिना किसी ब्याज के प्रतिभूति जमा के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा, जिसे एक वर्ष की अवधि के बाद तथा कार्य में संतोषजनक प्रदर्शन

होने पर संस्थान को जारी कर दिया जाएगा ।

- 2.26 यदि आवेदक तकनीकी व्यवहार्यता को पूरा नहीं कर पाता, तो भाग-II को नहीं खोला जाएगा और उसे वैसे ही रद्द कर दिया जाएगा। कम्पनी के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वह आवेदन रद्द किए जाने की सूचना आवेदनकर्ता फर्म को भेजे।
- 2.27 आवेदनकर्ता का चयन पूरी तरह से कम्पनी के निर्णय पर निर्भर है । चयन का आधार आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गयी योग्य और या न्यूनतम बोली होगी । यदि किन्हीं दो या दो से अधिक बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गयी न्यूनतम बोली के बीच टाई हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसी फर्म को वरीयता दी जाएगी जिसके विनियमन अनुपालन के पीएसयू ग्राहकों की संख्या अधिक हो।
- 2.28 बोलीकर्ता द्वारा अधूरी जानकारी दिए जाने पर हडको उनकी बोली को रद्द कर सकता है।
- 2.29 विनियमन अनुपालन के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति एक माह की पूर्वसूचना देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- 2.30 उपरोक्त दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किया गया है। दो संस्करणों के बीच अस्पष्टता या संघर्ष की स्थिति में, अंग्रेजी भाषा संस्करण का उपयोग इन दस्तावेजों के संबंध में व्याख्या के लिए किया जाएगा जैसा कि हडको द्वारा आवश्यक हो सकता है।

अध्याय:3 कार्यक्षेत्र की संभावनाएं- विनियमन अनुपालन के लिए परामर्शदाता
कार्यक्षेत्र की संभावनाओं में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे, निम्न सूची सांकेतिक है सम्पूर्ण नहीं :

1. हडको को एनबीएफसी-एचएफसी से एनबीएफसी-आईएफसी के मध्य होने वाले बदलावों में आवश्यक विनियमन अनुपालन के सम्बन्ध में परामर्श देना ।
2. आरबीआई/एनएचबी द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न मुख्य निदेशों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं/प्रेस विज्ञप्तियों की जानकारी रखना।
3. आरबीआई/एनएचबी द्वारा समय-समय पर जारी इन मुख्य निदेशों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं/ प्रेस विज्ञप्तियों आदि के अनुपालन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
4. आवश्यकतानुसार विनियमन मामलों एवं उनके स्पष्टीकरण पर परामर्श देना तथा विनियमन अनुपालन सुनिश्चित करना।
5. आरबीआई/एनएचबी द्वारा विनियमन निरीक्षण के दौरान हडको अधिकारियों की सहायता करना और निरीक्षण के दौरान उठाये गए प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता करना।
6. एनएचबी/आरबीआई के साथ जमा की जाने वाली विभिन्न सांविधिक रिटर्न तैयार करने और उन्हें अंतिम रूप देने में सहायता करना ।
7. आरबीआई/एनएचबी द्वारा अपेक्षित पत्रों/स्पष्टीकरणों को तैयार करने में सहायता करना।
8. आरबीआई/एनएचबी की विनियमन आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न नीति दस्तावेजों जैसे केवाईसी पॉलिसी ,उचित व्यवहार संहिता नीति ,परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति या इसी प्रकार के अन्य नीति दस्तावेजों की वार्षिक समीक्षा और उनके अद्यतनीकरण प्रदान करने में सहायता करना ।
9. कॉन्ट्रैक्ट अवधि में होने वाले वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के समय सांविधिक लेखापरीक्षा कार्यालय और सीएजी द्वारा उठाये गए विनियमन मुद्दों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर तैयार करने में सहायता करना ।
10. कॉन्ट्रैक्ट अवधि में तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरणों में आरबीआई/एनएचबी

द्वारा विनियमन रूप में प्रस्तावित किसी भी परिवर्तन/संशोधन को समय से संयोजित करवाने में सहायता करना और साथ ही उन परिवर्तनों के संयोजन के लिए एक क्रिया प्रणाली विकसित करना ।

11. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि रिटर्न/रिपोर्ट/प्रश्नों के उत्तर/खातों से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए सम्बंधित विषय में कंपनी की स्थिति को स्पष्ट करने या पद्धति/ प्रक्रिया में किसी भी तरह के बदलाव की आवश्यकता/अपेक्षा होने पर भी परामर्शदाता को हडको कार्यालय में स्वयं उपस्थित रहना होगा ।
12. परामर्शदाता फर्म को हडको के अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए उपस्थित रहना होगा और साथ ही उसे विनियमन द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना/परिपत्र/निर्देश/परिवर्तन/संशोधन इत्यादि के विषय में या उनसे हडको की कार्य प्रणाली/ वित्तीय स्थिति/ खाते पर या किन्हीं और तरह के पड़ने वाले प्रभावों पर भी अपनी लिखित प्रतिक्रिया देनी होगी ।
13. परामर्शदाता आरबीआई/एनएचबी की प्रतिवेदन और प्रकटन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करेगा ।
14. परामर्शदाता आईटी पद्धति और प्रक्रिया को विनियमन अनुपालन का ही भाग मानते हुए उसमें ज़रूरी बदलावों की पहचान करने में सहायता करेगा।
15. परामर्शदाता हडको में आवधिक विनियमन रिटर्न तैयार करने या उससे जुड़े अन्य मामलों के लिए नियमित आधार पर एक सहायक की नियुक्ति करेगा।
16. हडको प्रबंधन द्वारा अपेक्षित समय समय पर विनियमन रूप से सम्बंधित कोई भी सेवा/सहायता प्रदान करना ।
17. परामर्शदाता फर्म एक ऐसे साझेदार की प्रतिनियुक्ति करेगा जो उक्त विषय का जानकार हो और सम्बन्धित परामर्श कार्यों के लिए कम से कम महीने में एक बार या/ जब भी आवश्यक हो हडको मुख्यालय में उपस्थित हो सके। उपरोक्त प्रतिनिधि को विनियमन अनुपालन से जुड़े मामलों में हडको की आवश्यकतानुसार, उसे मुख्यालय के सामान्य लेखा अनुभाग के विनियमन विभाग या अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित रहना होगा ।
18. परामर्शदाता कॉन्ट्रैक्ट की अवधि या उसके बाद तक भी कामकाज से जुड़ी जानकारीयों या उसके परिणामों को तब तक किसी अन्य के साथ साझा नहीं किया

जा सकता जब तक हडको से लिखित अनुमति प्राप्त ना हो जाए, साथ ही परामर्शदाता इस ओर भी सतर्क रहेगा कि किसी अन्य परामर्शदाता, एजेंट या उनके कार्मिकों द्वारा भी उन सूचनाओं को गोपनीय रखा जाए। यदि किसी भी प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया जाता है तो किसी भी आर्थिक नुकसान/ क्षति की पूरी जिम्मेदारी फर्म की होगी।

19. परामर्शदाता कार्यक्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रखकर उनके निष्पादन के लिए हडको की आवश्यकतानुसार योग्य व्यावसायिकों की एक टीम बनाएगा। परामर्शदाता टीम सदस्यों के सभी कार्यों के लिए पूर्ण रूप से स्वयं ही उत्तरदायी होगा। नियुक्त किये गए व्यावसायिकों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने, स्वीकृति/ दस्तावेज़ लेने तथा हडको की आवश्यकतानुसार उन्हें अपनी परामर्श सेवाएं देने के लिए नियमित अन्तराल पर हडको में उपस्थित रहना होगा।
20. कार्य को पूरा करने या रद्द किये जाने पर परामर्शदाता के पास मौजूद सभी आंकड़े, जानकारी, सामग्री, रिकॉर्ड, दस्तावेजों की प्रति या अन्य सम्बंधित कागज़ात पूर्ण रूप से सिर्फ हडको की संपत्ति होगी तथा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर इन सभी को हडको को वापिस किया जाना अनिवार्य होगा।

अध्याय :4 बोली जमा करने का तकनीकी मानदंड और प्रारूप

क्र.सं.	शर्तें	आवश्यक दस्तावेज़	अनुलग्नक संख्या
1.	फर्म के पते का वैध प्रमाण। फर्म का मुख्यालय एनसीआर में होना चाहिए।	फर्म का आईसीआई/ आईसीएमए वेबसाइट से प्राप्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।	अनुलग्नक - 1
2.	सीए/सीएमए फर्म के पास निविदा जमा करने की तिथि तक कम से कम पांच साझेदार होने चाहिए।		
3.	निविदा तिथि तक फर्म के पास वेतन पर रखे हुए सीए/सीएमए कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए (साझेदार और सहायकों को छोड़कर)।		
4.	फर्म के कम से कम 3 साझेदारों के पास सीए/सीएमए के रूप में काम करने का 15 वर्षों से अधिक का अनुभव हो।		
5.	बोलीकर्ता फर्म द्वारा नियुक्त किए गए सभी योग्य व्यवसायिकों (साझेदारी और वेतन पर रखे गए सीए/सीएमए कर्मचारी) का संक्षिप्त विवरण तथा हडको द्वारा सौंपे गए कार्यों एवं कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित सदस्यों का विवरण जैसे नाम, अनुभव, प्रोफाइल, विशेषज्ञता आदि।	फर्म के लेटर हेड पर पूरा विवरण और आईसीआई/ आईसीएमए सहयोगी का सदस्य कार्ड।	अनुलग्नक- 2
6.	जीएसटी संख्या	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र	अनुलग्नक- 3
7.	सीए/सीएमए फर्म 10 वर्षों में लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिए आरबीआई/एनएचबी विनियमन के साथ एनबीएफसी विनियमन मामलों पर सांविधिक लेखापरीक्षक या / और परामर्शदाता के रूप में जुड़ा हो या पिछले 10 वर्षों में लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के एनबीएफसी के एनबीएफसी विनियमन मामलों पर सांविधिक लेखापरीक्षक या / और	संतोषजनक पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ कार्य आदेश की प्रति संलग्न हो।	अनुलग्नक- 4

	परामर्शदाता के रूप में जुड़ा हो ।		
8.	फर्म, वर्तमान में विनियमन अनुपालन सूचीबद्ध सांविधिक लेखा परीक्षा/पीएसयू/एनबीएफसी के लिए कम से कम एक परामर्श सेवा देने का कार्य कर रही हो ।	कार्य-आदेश की प्रति संलग्न हो।	अनुलग्नक- 5
9.	बोलीकर्ता यह घोषित करेगा कि क्या उसकी फर्म/कम्पनी का हडको में कार्य कर रहे किसी कर्मचारी से कोई संबंध है, तथा, यदि है तो उस कर्मचारी का नाम और उसका सम्बन्ध हडको के निदेशकों में से किसी के साथ या क्या किसी का भी सम्बन्ध नए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77) के तहत या सांविधिक लेखा परीक्षकों (मैसर्स एपीआरए एंड एसोसिएट्स एलएलपी) के साथ तथा हडको के साथ आंतरिक लेखा परीक्षक (मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी) के साथ है, यदि हां ,तो विवरण दें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की वह नए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 184 और 188 के अनुपालन में है ।	फर्म के लेटर हेड पर प्रमाण पत्र ।	अनुलग्नक- 6
10.	उन कार्यों की सूची जो हडको के मुख्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय पर किये जा रहे हैं ।	कार्य-आदेश की प्रति संलग्न हो ।	अनुलग्नक- 7
11.	उपरोक्त के अतिरिक्त ,बोलीकर्ता में निम्न में से कोई भी अयोग्यता ना हो :- क. पिछले पांच वर्षों में फर्म के विरुद्ध आईसीएआई/ आईसीएमए या अन्य किसी विनियमन प्राधिकरण द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गयी हो। ख. कोई भी साझेदार/ कर्मचारी किसी भी अपराध/आर्थिक अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया हो।	फर्म के लेटर हेड पर इसकी घोषणा।	अनुलग्नक- 8

	ग. भारत के किसी भी कोर्ट में अभ्यास जारी रखने के अधिकार के संदर्भ में कोई भी अपील/ अनसुलझा विवाद/मुकदमा/ मामला लम्बित ना हो।		
12.	फर्म का पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक कारोबार ₹2 करोड़ का हो ।	वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए फर्म की लेखापरीक्षित लाभ और हानि तथा तुलन पत्र।	अनुलग्नक- 9
13.	ईएमडी विवरण ।	(i) यू टी आर संख्या और दिनांक (ii) बैंक का नाम (iii) राशि या एमएसएमई प्रमाणपत्र	अनुलग्नक-10
14.	विनियमन अनुपालन के लिए परामर्शदाता को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि वह ना तो स्वयं या ना ही हडको में काम कर रहे किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने देगा और साथ ही वह किसी भी धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में पता चलते ही उसके विषय में यथाशीघ्र हडको को अवगत कराएगा ।	फर्म के लेटर हेड पर प्रमाण पत्र।	अनुलग्नक-11

टिप्पणी :- सभी निविदा दस्तावेज़ पर फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों। इस पर विशेष ध्यान दें कि विनियमन अनुपालन के अतिरिक्त आंतरिक लेखा परीक्षा, कर लेखापरीक्षा, स्टॉक लेखा परीक्षा या किसी अन्य कार्य से संबंधित दस्तावेज़ों को बोली के साथ जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर एवं हस्ताक्षर

अध्याय:5 वित्तीय बोली का प्रारूप

वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप (फीस शब्दों और अंकों दोनों में उद्धृत होगी)

विवरण	राशि (रु)
कार्यक्षेत्र की संभावनाओं में उल्लिखित दी जा रही सेवाओं के लिए लगभग त्रैमासिक व्यावसायिक शुल्क (लागू कर को छोड़कर)	
जीएसटी (18 %)	
कुल	
राशि शब्दों में- :	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर एवं हस्ताक्षर